न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :— 53 / 2024

अपीलांट

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी फलौदी तहसील फलौदी जिला फलौदी
2. जुनुसा पुत्र अब्दुल अजीज जाति व्यापारी निवासी फलौदी, तहसील फलौदी

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. तहसीलदार, फलौदी, जिला फलौदी।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम बनाराजगी आदेश 1285—1286 दिनांक 18.08.2023 तहसीलदार फलौदी

उपस्थित वकील —:

अपीलाण्ट् की ओर से— अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह राजपुरोहित।

रेस्पाडेन्टस संख्या 01 की ओर से— तहसीलदार फलौदी।

निर्णय दिनांकः— 29/11/2024

1. यह अपील भू— राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत आदेश 1285—1286 दिनांक 18.08.2023 तहसीलदार फलौदी के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलांट की अपील का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि तहसीलदार फलौदी द्वरा जारी आदेश क्रमांक / राजस्व / 2023 / 1285—1286 दिनांक 18.08.2023 को जारी कर ग्राम फलौदी में अपीलांट के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 463 पर स्थगन का नोट अंकित कर दिया गया। जबकि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खसरा संख्या 464 के रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर स्थगन जारी किया गया था। तहसीलदार फलौदी द्वारा अपनी मनमर्जी से बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना ही उक्त आदेश जारी से अपीलांट को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी द्वारा खरीद की गई भूमि का आज तक म्यूटेशन भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हो रहा है तथा खातेदार इनायत के फौत होने से उसके वारीसान के नाम का नामान्तरकरण , केसीसी वगैरह भी लेने में भंयकर परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व रेकर्ड खसरा संख्या 463 से स्थगन नोट हटाने एवं तहसीलदार फलौदी के आदेश क्रमांक 1285—1286 से व्यथित होकर यह अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से यह अपीलांट नें अपील की मियाद के अंदर न्यायालय में पेश की है।

जिला कलक्टर
फलोदी

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 01 नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खसरा संख्या 464 के रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा पर स्थगन का नोट लगाने का आदेश दिया गया था लेकिन तहसीलदार फलौदी ने भूलवश खसरा संख्या 463 के रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा पर स्थगन का नोट लगा दिया गया। उक्त नोट गलत रूप से दर्ज होने से हटाये जाने का अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया तब तहसीलदार फलौदी द्वारा भू.अ.निरीक्षक, पटवारी व एल.आरसी , पटवारी से स्थगन सही है या गलत, की रिपोर्ट मांगी गई। जिस पर पटवारी, भू.अ.निरीक्षक व एल.आर.सी. पटवारी ने स्पष्ट रूप से लिखा कि खसरा संख्या 463 स्थगन का नोट गलत लगाया गया है। राजस्व अपील अधिकारी के आदेश के विपरीत आदेश किया गया होने के कारण आंशिक रूप से परिवर्तन किये जाने योग्य है। अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1285–1286 दिनांक 18.08.2023 को आंशिक रूप से निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

5. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट को दिनांक 23.08.2024 को जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर प्रथम बार आलौच्य आदेश की जानकारी होना बताया। पत्रावली का अवलोकन करने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 25.09.2024 को अधीनस्थ न्यायालय से प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई है। तद्पश्चात अपील अपील प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्टस द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के विरूद्व आपत्ति पेश नही की है। अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

6. हमने पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी न्यायालय फलौदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 66/2019 बअनवान इनायत व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2022 के विरूद्व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त वाद में विवादित आराजी खसरा संख्या 464 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा के संबध में खातेदारी

अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त वाद में विवादित आराजी खसरा संख्या 464 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा के संबध में खातेदारी अधिकार घोषणा की डिक्री जारी की गई है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में नगरपालिका फलौदी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नगरपालिका फलौदी को पक्षकार बनाये बिना ही डिक्री पारित किये जाने को आधार मानते हुए न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 18.08.2023 को राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार फलौदी के आदेश क्रमांक/ राजस्व/ 2023/ 1285–1286 दिनांक 18.08.2023 द्वारा स्थगन की पालना करने हेतु हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को निर्देशित किया गया है। इसकी पालना में हल्का पटवारी द्वारा नोट नंबर 30 से जमाबंदी में अंकन किया गया है।

7. प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक का तर्क है कि स्थगन आदेश में खसरा संख्या 464 की भूमि की यथास्थिति बनाये रखे जाने के संबध में पारित किया गया है जबकि तहसीलदार फलौदी द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 18.08.2023 में खसरा संख्या 463 में बढ़ाये गये रकबे पर यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन का नोट अंकित किये जाने आदेश जारी किया गया। प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में अपील खसरा नंबर 464 जो नगरपालिका खातेदारी में दर्ज है, में से 18 बीघा 12 बिस्वा वादी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 463 में बढ़ाये जाने के आदेश के विरूद्व की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि खसरा संख्या 463 में बढ़ाया गया 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि का रकबा है। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा जो सिगिनादेश पारित किया गया है, वह उस वादग्रस्त भूमि बाबत है जिसके सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी न्यायालय फलौदी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणात्मक डिक्री जारी की गई है। वादग्रस्त भूमि उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी आदेश की पालना में खसरा संख्या 464 से 463 में अन्तरित होना प्रकट होता है। अतः न्यायालय की राय में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा जारी किये गये आदेश विधि सम्मत प्रकट होता है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। इसके साथ ही तहसीलदार फलौदी को निर्देश दिए जाते है कि मामले में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में लम्बित अपील प्रकरण में प्रभावी पैरवी किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि राजकीय भूमि को खुर्द–बुर्द होने से बचाया जा सकें।

जिला कलक्टर
फलौदी

8. प्रकरण में अपीलांट द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.2024 एवं उस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें पटवारी द्वारा यह अंकित किया गया है कि न्यायालय निर्णय में खसरा नंबर 463 पर लगाया गया स्थगन गलत है। पटवारी द्वारा उक्त टिप्पणी तथ्यों के विपरित एवं अनुचित है। पटवारी द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर राजकीय हित ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अतः तहसीलदार फलौदी, उक्त हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक के विरूद्व अनुशानात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव 15 दिवस में जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करें।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 29/11/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर
फलोदी